श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कालेज, गोण्डा

दिनांकः नवम्बर 21, 2023

सूचना

समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 22.11.2023 को युवा उत्सव कार्यक्रम के अन्तर्गत "Story Writing & Poster Making " प्रतियोगिता का आयोजन होना है। उक्त प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु इच्छुक छात्र/छात्राएं अपना प्रार्थना पत्र दिनांक 22.11.2023 को प्रातः 10:00 बजे तक निम्नांकित प्राध्यापकों के पास जमा कर दें–

1. प्रो0 आर0बी0सिंह बघेल, सैन्य विज्ञान विभाग
2. डॉ0 रेखा शर्मा, वनस्पति विज्ञान विभाग
3. डॉ0 चमन कौर, बी0एड0 विभाग

प्राचार्य

द्वारा– ई–मेल

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश

पुराना जेल रोड, आनन्द नगर, लखनऊ–226005
दूरभाष संख्या: 0522-2975120, 21 ई–मेल: dgprdandyouthwelfare@gmail.com

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलीय उप निदेशक**
   युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल
   उत्तर प्रदेश।

2. **समस्त जिला युवा कल्याण एवं**
   प्रादेशिक विकास दल अधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

संख्या 2071/चार–02/यु0क0/2023–24 दिनांक– 17 अक्टूबर, 2023

विषय – **वित्तीय वर्ष 2023–24 में युवा उत्सव के आयोजन हेतु दिशा–निर्देशों का प्रेषण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये अवगत कराना है कि प्रत्येक वर्ष की भॉति इस वर्ष 2023–24 में युवा उत्सव का आयोजन जनपद व मण्डल स्तर पर कराये जाने हेतु निम्नवत् दिशा–निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं।

प्रतिभागी की आयु सीमा :– प्रतिभागी कलाकारों की आयु 12 जनवरी, 2024 को 15 से 29 वर्ष के मध्य होने की अनिवार्यता होगी।

प्रतियोगिता :– युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा उत्सव–2024 के आयोजनार्थ युवा उत्सव के कार्यक्रमों का नवीनीकरण करते हुए निम्नवत कार्यक्रमों का निर्धारण किया है :–

I. राष्ट्रीय युवा उत्सव–2024 हेतु युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समस्त राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को एक थीम आवंटित किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य को आवंटित थीम है– " **एक भारत श्रेष्ठ भारत** "। अन्य राज्यों की भांति उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा भी इस स्टेट स्पेसिफिक थीम पर आधारित प्रतियोगिताएं यथा–नुक्कड़ नाटक आदि प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जानी होंगी। यह प्रतियोगिताएं जनपद स्तर से लेकर राज्य स्तर तक आयोजित की जाएगीं।

II. पूर्व में प्रचलित 18 सांस्कृतिक विधाओं की प्रतियोगिताओं के स्थान पर निम्नवत् केवल 04 प्रतियोगिताओं का आयोजन जनपद स्तर से लेकर राज्य स्तर तक कराया जाएगा :–

1- Group Folk Dance   2- Group Folk Song
3- Solo Folk Dance   4- Solo Folk Song

III. उक्त के अतिरिक्त लाईफ स्किल के अन्तर्गत भी निम्नलिखित 04 प्रतियोगिताओं का आयोजन जनपद स्तर से लेकर राज्य स्तर तक कराया जाएगा :–

1- Story Writing   2- Poster Making
3- Declamation   4- Photography

IV. भारत सरकार द्वारा प्रदेश से विभाग के भेजे जाने वाले सदस्यीय दल का विवरण निम्नवत् दिया गया है–

S.No	Component	Activity	Suggestive Number Of Participation	Concerned Department
01-	CULTURE	Group Folk Dance	10	YOUTH WELFARE DEPARTMENT
		Group Folk Song	10	
		Solo Folk Dance	5	
		Solo Folk Song	5	
02-	LIFE SKILL	Story Writing	3	
		Poster Making	2	
		Declamation	2	
		Photography	2	
03-	THEMATIC	Thematic Competitions-State Specific Theme	35	
		Any Government entry on given theme	5	

प्रदर्शनी :– जनपद स्तर पर उपर्युक्त सांस्कृतिक विधाओं में प्रतियोगिता आयोजन करने के अतिरिक्त युवाओं के कृतित्व को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से युवा उत्सव के आयोजन स्थल पर ही जिलाधिकारी के सहयोग से ओ0डी0ओ0पी0 के अन्तर्गत युवाओं (15 से 29 वर्ष की उम्र के) द्वारा निर्मित उत्पादों की एक प्रदर्शनी का आयोजन भी कराया जाये।

आयोजन के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्देश :–राज्य स्तरीय युवा उत्सव के पूर्व जनपद व मण्डल स्तर पर युवा उत्सव के आयोजन हेतु निर्देश निम्नवत् हैं :–

अ– जनपद स्तर

1. जनपदीय युवा उत्सव में प्रतिभाग करने हेतु जनपद के कलाकारों को आमंत्रित कर एक दिवसीय जनपद स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी, जिसमें राष्ट्रीय युवा उत्सव हेतु नवीनीकृत लोकगीत, लोकनृत्य की विधाओं में ग्रुप व एकल रूप से मंचन, कहानी लेखन, पोस्टर बनाना, भाषण प्रतियोगिता, फोटोग्राफी तथा प्रदेश को आवंटित थीम की प्रतियोगिताओं को सम्मलित किया जायेगा।
2. इस प्रतियोगिता में आने वाले कलाकारों के भोजन, विकास खण्ड से जनपद तक आने व जाने का मार्ग–व्यय, निर्णायकों का मानदेय, कलाकारों हेतु पुरस्कार एवं अन्य अपरिहार्य विविध व्यय किये जायेंगे। मार्ग व्यय हेतु रेल की द्वितीय श्रेणी/बस का किराया देय होगा।
3. इस प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजयी कलाकारों को पुरस्कार भी दिया जायेगा।
4. जनपद स्तर पर सभी विकास खण्डों के अतिरिक्त समस्त विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, शासकीय एवं अर्द्धशासकीय शिक्षण संस्थानों, जिला विद्यालय निरीक्षक तथा उपर्युक्त कार्य से जुड़ी निजी संस्थाओं को भी पत्र भेजकर उनके यहाँ छिपी हुयी प्रतिभाओं को सामने लाने हेतु सम्बन्धित विधाओं में निपुण कलाकारों, जिनकी आयु 15 से 29 वर्ष के मध्य हो, के विवरण (बायोडाटा) प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त कर कार्यक्रमों का आयोजन कराया जायेगा।
5. प्रतिभागियों का नाम जनपद स्तर से ही वही लिखा जायेगा, जो उनके हाई–स्कूल के प्रमाण पत्र में लिखा होगा। हाई–स्कूल का प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में उनके बैंक डिटेल से नाम लिखा जायेगा। साथ ही साथ प्रतिभागी के आधार कार्ड की छायाप्रति भी प्राप्त की जाये। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जिला युवा कल्याण अधिकारी की होगी।

ब– मण्डल स्तर

1. मण्डल स्तर पर जनपद के विजयी कलाकारों को आमंत्रित कर एक दिवसीय मण्डल स्तरीय चयन प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी, जिसमें राष्ट्रीय युवा उत्सव हेतु नवीनीकृत लोकगीत, लोकनृत्य की

विधाओं में ग्रुप व एकल रूप से मंचन, कहानी लेखन, पोस्टर बनाना, भाषण प्रतियोगिता, फोटोग्राफी तथा प्रदेश को आवंटित थीम की प्रतियोगिताओं को सम्मलित किया जायेगा।

2. मण्डल स्तर पर कलाकारों के भोजन, निर्णायकों का मानदेय एवं अन्य अपरिहार्य व्यय किये जायेंगे। मण्डल स्तर पर विजयी प्रतिभागी द्वारा ही राज्य स्तरीय युवा उत्सव में प्रतिभाग किया जायेगा। मण्डल स्तरीय युवा उत्सव में जनपद स्तर के विजयी कलाकार प्रतिभाग करेंगे तथा उनको जनपद मुख्यालय से मण्डल मुख्यालय तक आने व जाने हेतु अनुमन्य मार्ग व्यय मण्डल स्तरीय जनपद द्वारा भुगतान किया जायेगा।
3. प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजयी कलाकारों को पुरस्कार भी दिया जायेगा।
4. मण्डल स्तर पर विजेता कलाकारों का विवरण राज्य स्तर पर प्रतिभाग करने हेतु निम्न प्रारूप पर उपलब्ध कराया जायेगा।

क्र. सं	प्रतिभागी का नाम	पिता का नाम	विधा	पता	जनपद	मो0 नं0	आधार कार्ड
1	2	3	4	5	6	7	8

5. राज्य स्तर पर प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के बैंक डिटेल हेतु पासबुक के प्रथम पृष्ठ की पठनीय प्रति जिसमें प्रतिभागी का विवरण खाता संख्या व आईएसएस कोड स्पष्ट अंकित हो तथा प्रतिभागी के 02 पासपोर्ट साईज़ फाटोग्राफ भी वांछित हैं।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण एवं आयोजन हेतु गत वर्ष की भॉति जनपद व मण्डल स्तर पर निम्नवत् समितियों का गठन किया जाना है :–

<u>जनपद स्तरीय समिति</u>

1. मुख्य विकास अधिकारी – अध्यक्ष
2. जिला युवा कल्याण अधिकारी – सदस्य / सचिव
3. जिला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केन्द्र – सदस्य
4. जिला सूचना अधिकारी – सदस्य

<u>मण्डल स्तरीय समिति</u>

1. मण्डलीय उप निदेशक, युवा कल्याण – अध्यक्ष
2. मण्डल मुख्यालय के जनपद के जिला युवा कल्याण अधिकारी – सदस्य / सचिव
3. उप निदेशक द्वारा नामित एक अन्य जिला युवा कल्याण अधिकारी – सदस्य

अन्य निर्देश

1. आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम के आयोजन की तिथि, समयावधि एवं स्थान का निर्धारण किया जायेगा तथा पेयजल, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था, खान–पान आदि का कार्यक्रम में स्पष्ट अंकन किया जायेगा। कार्यक्रम में स्वच्छता व समयबद्धता का पूरा ध्यान रखा जायेगा।
2. कार्यक्रम में युवकों के अतिरिक्त न्यूनतम 30 प्रतिशत युवतियॉ भी रहेंगी, अतएव आचार–विचार पर कठोर दृष्टि एवं नियंत्रण होना चाहिये। तद्क्रम में यह भी सुनिश्चित किया जाये कि कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की अभद्रता या अश्लीलता न हो।
3. कार्यक्रम में राष्ट्रीय एकता, अखण्डता एवं सामाजिक बन्धुता का पूरा ध्यान रखा जाये तथा किसी भी धर्म, भाषा, जाति वर्ग या राजनीतिक दलों या सरकार के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी या प्रदर्शन न होने पाये।
4. किसी विवाद की स्थिति में निराकरण आयोजन समिति के अध्यक्ष के स्तर से किया जायेगा।
5. कार्यक्रम का प्रिन्ट मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाये, ताकि कार्यक्रमों में प्रतिभावान कलाकारों का प्रतिभाग हो सके।
6. कलाकारों से प्रस्तुत किये जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण प्राप्त कर आयोजन समिति द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।